



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2002 सन् 2026

विकास कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव मिश्रा, अवधेश कुमार, दीपेश कुमार ओझा
उत्तरदातागण के अधिवक्ता ए.एस.जी.आई., यशवंत सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार और उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री यशवंत सिंह को सुना।
2. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद में एक बयान दिया है कि प्रसार भारती/आकाशवाणी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एटी अधिनियम, 1985 की धारा 14 के अधीन अधिसूचित किया गया है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।
4. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता के लिए इस मामले पर क्षेत्राधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

फ़रवरी 11, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"